| | |
|---|---|
| 8/3/18 | वकील फरीकेन उपस्थित। गैर तामील सम्मन नं. 3 व 4 की तलबी हेतु इस्तवान गैर तामील होने पर तलबी जारी हो। T.S आगामी पेश होने पर तलबी जारी की जावे। पत्रावली तारीख पेशी तक बनाई जाती है। पत्रावली दिनांक 12/3/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी करौली |
| 12/3/18 | कारण आज दिनांक 12/3/18 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 3/5/18 को की जावेगी। |
| 3-5-18 | श्री आज PO सा. एवं न्यायालय के हाल अस्थिर में पधारने से कारण आज दिनांक 3-5-18 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 19-7-18 को की जावेगी। |
| 19/7/18 | श्री आज P.O. सा. के स्थानान्तरण हो जाने से कारण आज दिनांक 19/7/18 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 11/9/18 को की जावेगी। |
| 11/9/18 | श्री आज P.O. सा. के कार्य व्यवस्था में होने से कारण आज दिनांक 11/9/18 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 30/10/18 को की जावेगी। |
| 30-10-18 | श्री आज P.O. सा. के अवकाश पर होने से कारण आज दिनांक 30-10-18 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 15/1/19 को की जावेगी। |
| 15-1-19 | वकील फरीकेन उपस्थित। गैर तामील सम्मन नं. 3 व 4 की तामील सम्मन पर्याप्त नहीं चाहते हैं अतः तलबी गैर तामील सम्मन नं. 3 व 4 बन्द की जाती है। बहस T.S वकील उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया |

विवादित आराजीपाट पर वादपत्र मद नं. 1 मे सम्मान ने अपने 1/8 हिस्सा होना व भूमि पुश्तैनी होने के आधार पर कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा बनवाया का वाद पेश किया गया है। जिसका गैर सम्मान द्वारा खण्डन किया गया है। उभय पक्ष के हक हकूक मूल दावे के साक्ष्य के बाद अन्तिम निर्णय मे तय होने है। तब तक उक्त आराजीपाट की यथा स्थिति रखा जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र सम्मान अंतरिम स्वीकार किया जाता है। अतः विवादित आराजीपाट प्रा०पत्र के मद नं. 2 मे सम्मान वाद पत्र उभयपक्षगण को मौका एवं सिकाई की यथा स्थिति बनाये रखने के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली के सम्मान कुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के साथ हम फीला रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned by CamScanner